Shri Nand Lal Sharma: It is for the first time that Rules are placed before the House for approval. Will it be possible in future for other Rules to be placed before the House for approval?

Mr. Chairman: That is finished. The House can regulate the business as it likes, and it has been done according to the wishes of the House

The Minister of Home Affairs (Pandit G. B. Pant): According to the exigencies of the situation.

Mr. Chairman: We now go to the next item of business.

MOTION *RE*. REPORTS OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES FOR 1953 AND 1954

The Minister of Home Affairs (Pandit G. B. Pant): I beg to move:

"That the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1954 be taken into consideration."

I am expected to make only a formal motion at this stage. I understand that when the Report for the year 1953 was taken up last time it was discussed for a little while, but as the discussion was not finished, it should continue today. One of the Members was on his feet at that time when the House adjourned. So I suggest that both the Reports be taken together and if I get an opportunity I may speak later.

Mr. Chairman: Motion moved.

"That the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1954 be taken into consideration."

So the motion before the House is the consideration of the Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for 1954 and further consideration of the motion relating to the Report for 1953 already moved on the 24th December, 1954.

A list of substitute motions already moved on the 24th December, 1954 in respect of the motion relating to the Report for 1953 has been circulated to Members.

The discussion on the previous Report continued for 1 hour and 49 minutes on the 24th December, 1954 and the following Members have already taken part in the discussion:

(1) Shrimati Khongmen

(2) Shri P. L. Kureel

(3) Shri B. S. Murthy

(4) Shri Jangde, and

(5) Shri Naval Prabhakar.

Shri Naval Prabhakar did not finish his speech. So he will continue his speech today. There is no bar on other Members speaking also, because the Report for 1954 is placed today. But generally of course the Members who have not spoken should be given the first preference.

Ten hours excluding the time already taken during the Eighth Session has now been allotted for the consideration of both the Reports which will be discussed together.

The discussion will continue today and thereafter till the time allotted. Shri Naval Prabhakar may now continue his speech.

Shri Jaipal Singh (Ranchi West—Reserved—Sch. Tribes): I just want to find out from you whether the Chair really means to be serious about punishing hon. Members who have already participated in the discussion of the Report for 1953. In the Order Paper we had two motions, one by the previous incumbent of the Home Ministry which was unfinished, and now we have another motion. These two motions have not been bracketed together in the Order Paper. I am at one with the new and very welcome incumbent—much more welcome than the previous one as far as I am concerned—that the two motions should be bracketed together. But I

[Shri Jaipal Singh]

humbly suggest that it is not at all parliamentary, not in its practice at any rate, that because something is tacked on by Government Benches, previous speakers, as you put it, will be generally excepted—not accepted—from participating in the discussion. I would like a clear ruling on this point; because as far as we are concerned we represent special constituencies. We have these reports every year, and we do not want to be precluded and to become defunct in 1955 because the Treasury Benches failed in their duty to have this discussion every year. I would like to have a very clear ruling on this point.

Shri Jangde (Bilaspur—Reserved Sch. Castes): May I make another suggestion? Because there are a large number of Members who are intending to speak, there should be a time-limit, so that more Members can be accommodated.

Pandit G. B. Pant: So far as the Government are concerned, we do not want to be denied the privilege of listening to any Member who wishes to speak and who may be able to catch the eye of the Chair successfully. We have placed the other Report too before the House so that it may be convenient for Members to make their remarks. I do not think any question of principle is involved. The Chair will certainly, I think, be prepared to give permission to every Member so far as the Report for 1954 is concerned and so far as the Report for 1953 goes, those who have already spoken would perhaps not like to deprive other Members of the opportunity of speaking on the two Reports together.

Shri Jaipal Singh: My question does not relate to whether other Members would like to speak on the two Reports together. That is not my question. You have just now announced from the Chair that Members who have already participated in the discussion on the 1953 Report—the records are there; it is being reported—would be generally debarred from participating. 'Generally' is the word.

Mr. Chairman: I do not think I said 'debarred'. I said that others who have not spoken will be given preference.

Shri Jaipal Singh: What is the logic of it?

Mr. Chairman: But the question here is this. There is another new Report. Those Members who have spoken on the earlier Report have not spoken on this Report that is being placed before the House today. So it is not right to exclude them altogether. What I said was that those Members who have already spoken are certainly not debarred from speaking, because there is another Report, but generally those who have not spoken should be given preference. I do not find any injustice or anything like that in that.

Shri Algu Rai Shastri (Azamgarh Distt.-East *cum* Ballia Distt.-West): It is perfecly clear.

Mr. Chairman: There are only five Members. I all see about that.

As regards time-limit, I think hon. Members should try to conclude their speeches in 15 minutes.

श्री पी० एन० राजभोज (शोलापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं पहले खड़ा हुआ हूं, मुझे एक बात पूछनी है ।

Shri S. S. More (Sholapur): On a point of procedure. I have no interest in the subject as far as participating in the debate is concerned. Are we discussing two independent motions, though referring to the same subject, or two motions clubbed together?

श्री पी० एन० राजभोज : श्रीमान् जी, मुझे आपसे एक बात पूछनी है ।

Mr. Chairman: Substantially, it is one motion because it is the Report

of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, and it contains the very same thing in both the Reports, relating to different years .

Shri Jaipal Singh: No, no.

Some Hon. Members: No, no.

Shri S. S. More: I wanted to suggest from the point of procedure that if the first motion is formally modified by another motion, then the two can be clubbed together.

Mr. Chairman: His point is that two motions are separate.

Pandit Thakur Das Bhargava (Gurgaon) : They can be consolidated.

Mr. Chairman: As I find in the Order Paper, there are two motions. They will be put separately, but the discussion will go on.

Shri V. G. Deshpande (Guna): On a point of order.........

श्री पी० एन० राजभोज : मेरी प्रार्थना यह है कि यह रिपोर्ट प्रतिवर्ष ग्रानी चाहिये ।

Mr. Chairman: What is the point?

श्री पी० एन० राजभोज : मेरी प्रार्थना है कि यह रिपोर्ट हर साल ग्रानी चाहिए जो कि नहीं ग्राई ग्रौर दो वर्ष की इकट्ठी पेश की जा रही है । दोनों रिपोर्ट ग्रलग ग्रलग रखनी चाहियें । ग्रौर दूसरी प्रार्थना यह है कि मुझे इस पर बोलने का चांस दिया जाये . . .

Mr. Chairman: Order, order. The hon. Member is now criticising. Whatever complaint any Member has got can be ventilated during his speech.

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली-रक्षित-ग्रनुसूचित जातियां) : मैं गत सत्र में देहली के हरिजनों के सम्बन्ध में कह रहा था । ग्राज मेरा ग्रहोभाग्य है कि जहां पहले इस स्थान पर हमारे माननीय कैलाश नाथ काटजू विराजमान थे, ग्राज वहां पर हमारे नेता ग्रौर पथ प्रदर्शक माननीय पंडित गोविन्द वल्लभ पंत हैं । मैं पिछले ग्रवसर पर बतला रहा था कि देहली में पुलिस विभाग में हरिजनों की भर्ती नहीं की जाती है । मैं ने कहा था कि दो साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा का मामला केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है लेकिन वह तय नहीं हो पा रहा है । उसके सम्बन्ध में मैं ने कुछ लिखा पढ़ी भी की ग्रौर मेरे पास शैडयूल्ड कास्ट कमिश्नर साहब के यहां से एक पत्र ग्राया जिसमें ग्रसिस्टेंट कमिश्नर साहब ने यह लिखा :

"Kindly refer to my D.O. Letter No. 955/55 D & R dated 10th instant regarding the grant of educational concession to the Scheduled Caste students of Delhi. The latest position is that the Government of Delhi have agreed to exempt Scheduled Caste students studying at the University of Delhi and its affiliated colleges from payment of fees. This scheme will come into force with effect from the financial years 1955-56."

मैं ग्रापकी सेवा में निवेदन किया चाहता हूं कि यह जब पत्र मेरे पास ग्राया, मैं ने जो विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, मैं ने उनको कहा कि ग्रब इस साल से ग्राप लोगों से दिल्ली विश्वविद्यालय के ग्रधीनस्थ जितने भी विद्यालय हैं, उनमें कोई फ़ीस नहीं ली जायेगी, किन्तु मुझे ग्रत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जब विद्यार्थियों ने जाकर ग्रपने विद्यालय में कहा कि साहब इस तरह के कुछ ग्रार्डर्स हो गये हैं तो प्रिंसिपल साहबान ने यह कहा कि हमारे पास इस तरह का कोई सर्कुलर नहीं ग्राया है । शायद दो या तीन दिन पहले की बात है,

[श्री नवल प्रभाकर]

मैंने एक कालिज के प्रिंसिपल साहब को टेलीफोन किया और उनको इसका हवाला दिया और उस दिन तक राज्य सभा के कुछ प्वाइंट्स थे, वह भी मुझे प्राप्त हो गये थे, उनका भी मैंने हवाला दिया, तो उन्होंने जवाब दिया कि साहब हमें तो कुछ पता नहीं है। तो मेरा माननीय मंत्री की सेवा में विनम्र निवेदन है कि जो भी आदेश यहां से जारी किये जायें या जो भी कुछ तय हो वह जरा सख्ती के साथ अमल में लाया जाना चाहिए।

[SHRIMATI SUSHMA SEN *in the Chair*]

अब इससे जो ५० या ६० विद्यार्थी देहली विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, उन बेचारों को बहुत परेशानी हुई। पहले तो उन्होंने कहा कि हम फीस नहीं देंगे, उसके बाद में फ़ीस देने के लिए उनको कहा गया और दो चार केसेज के बारे में मुझे यह भी मालूम है कि विद्यार्थियों ने अपने घर के जेवर गिरवी रख कर और बेच कर अपनी फ़ीसें अदा की हैं। इस सम्बन्ध में मैं ने शेडयूल्ड कास्ट कमिश्नर साहब को जभी दो, चार मर्तबा टेलीफोन किया और उनसे भी मैं ने कहा कि अमुक कालिज का मामला मेरे पास आया है और एक बार तो एक विद्यार्थी को मैं ने उनकी सेवा में भेजा भी, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हो सका।

मैं उस दिन कह रहा था कि हरिजनों के मकानों की समस्या बहुत ही गम्भीर है। हरिजन देहली में बहुत ही बुरी अवस्था में पड़े हुए हैं और क्या गांव के रहने वाले हरिजन और क्या शहर में रहने वाले हरिजन, आज जितनी भी गंदी बस्तियां देहली में दिखाई पड़ रही हैं, वह सब हरिजनों की बस्तियां हैं और इन बस्तियों की आज ऐसी दयनीय और शोचनीय हालत हो रही है कि उनको यदि देखा जाये तो रोना आता है। मैं समझता हूं कि शायद पशु भी उससे अच्छी अवस्था में रहते होंगे और उससे अच्छी जगह में होंगे लेकिन यह दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे ये अभागे हरिजन भाई उन गीली, मैली और गंदी जगहों में नारकीय जीवन बिता रहे हैं। मेरा सरकार से नम्र निवेदन है कि आप इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएं और राज्य सरकार को कहें ताकि इस दिशा में कुछ किया जा सके। रिपोर्ट के अन्दर मैं ने इस सम्बन्ध में देखने की कोशिश की है और यह जानने की कोशिश की है कि हमारे शेडयूल्ड कास्ट कमिश्नर साहब ने सन् १९५३ में जो दौरा किया है उसमें उन्होंने दिल्ली राज्य का कितने मील का दौरा किया। सन् १९५३ में शायद उन्होंने दिल्ली राज्य में ४६ मील का दौरा किया और उस ४६ मील के दौरे के अन्दर उन्होंने जो सुझाव दिए हैं वह एक्स-क्रिमिनल ट्राइब्ज के बारे में ही हैं। शायद उनकी दिल्ली के हरिजनों की तरफ निगाह नहीं गई। क्यों उन्होंने दिल्ली के हरिजनों की तरफ नहीं देखा? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। यदि उनको दिल्ली के हरिजनों की समस्याएं दिखाई नहीं देती थीं तो, वह मुझ से पूछते, मुझे बुलाते तो मैं भी उनकी सेवा में हाजिर हो सकता था और उन समस्याओं पर रोशनी डाल सकता था और उनको ले जा कर जो दिक्कतें हैं वह भी दिखा सकता था कि आज दिल्ली के लोग कितनी बुरी अवस्था में हैं। दिल्ली भारत की राजधानी है और राजधानी होने की वजह से हमारा ध्यान उसकी तरफ ज्यादा जाना चाहिये।

यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो विदेशी लोग यहां आते हैं, जो राजदूत रहते हैं वे देखते हैं और ऐसी गन्दी बस्तियों को देखते हैं तो उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।

इसके अतिरिक्त मैं यहां के देहातों की ओर चलता हूं । देहातों के अन्दर कुछ पंचायतें बनी हुई हैं । पंचायतों के अन्दर जो पंच हैं उन में से ज्यादातर कास्ट हिन्दू ही हैं । यह पंचायतें इन हरिजनों को नाना प्रकार से तंग करती हैं । मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताना चाहता हूं ।

यहां लोडपुर एक गांव है । वहां पर हरिजनों ने चौपाल बनाई । उस चौपाल के आगे एक जाट भाई ने अपना मकान खड़ा कर दिया । हरिजनों ने डिप्टी कमिश्नर के पास अपील की । डी० सी० साहब ने कृपा करके उसे अपने नायब तहसीलदार के पास भेज दिया । नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट दी कि साहब बिल्कुल गलत बात है, मकान नहीं बनना चाहिये । उसका परिणाम यह हुआ कि उसको तोड़ दिया गया किन्तु मेरे पास अभी उस गांव के हरिजन भाई आए हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि वहां पर मलबा पड़ा हुआ है । डी० सी० साहब से भी मैं ने टेलीफोन पर बात की थी और उन्होंने मुझे कहा कि मकान बनेगा । मैं ने पूछा क्यों बनेगा तो उन्होंने कहा कि जो नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट दी थी वह गलत दी थी । मैं ने कहा कि आप ने जो पहले आर्डर दिया था क्या वह गलत दिया था, और आपको पहले ही सोच समझ कर आर्डर देना चाहिये था । उन्होंने कहा कि उस रिपोर्ट को तहसीलदार साहब के पास भेजा गया था और उन्होंने ही अब यह रिपोर्ट दी है । सुनते हैं कि तहसीलदार उसी जाति के हैं जिस जाति के आदमी का मकान है । यह भी सुना जाता है कि जिस आदमी का मकान है उसको राज्य सरकार १५०० रुपया हर्जाना देगी और मकान भी चौपाल के सामने खड़ा करने की इजाजत दी जाएगी ।

एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं । एक नंगलोई गांव है और वहां पर एक हरिजन का मकान एक कुएं के सामने बना हुआ है । जब बरसात हुई तो उसके मकान के पास पानी भर गया । जब उसका मकान गिरने को हुआ तो उसने एक छोटी सी नाली निकाल कर वह पानी एक तालाब में गिरा दिया । पंचायत ने कहा कि यह तुम ने गलत काम किया है । जब उसको यह मालूम हुआ कि हो सकता है कि उसके ऊपर जुर्माना कर दिया जाए या उसे कोई और दण्ड दे दिया जाए तो उसने एक अपील की किसी मजिस्ट्रेट के पास एक पत्र लिखकर और उस मजिस्ट्रेट ने एक चिट्ठी पंचायत के नाम लिखी कि वह फैसला न करे । सुना जाता है कि वह आदेश पंचायत को १२ बजे मिल गया लेकिन दो बजे उस पंचायत ने बैठकर फैसला किया कि इस हरिजन के ऊपर चार रुपया जुर्माना किया जाता है और वह एक रुपया रोजाना हर्जाना दे । हर्जाना यह होता है कि जब तक वह जुर्माना अदा न कर दे तब तक वह एक रुपया रोजाना के हिसाब से बढ़ता रहता है ।

इसी तरह से और भी कई केसेज में आपको बता सकता हूं जहां पर कि हरिजनों के साथ ज्यादतियां होती हैं । अगर कमिश्नर साहब मुझ से पूछते तो मैं कई केस उनको

[श्री नवल प्रभाकर]

बता देता कि किस तरह से छोटे छोटे कसूरों पर कितनी बड़ी बड़ी सजाएं दी गई हैं । इसी तरह से मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं मंगोलपुर गांव की । वहां पर एक हरिजन ने अपना मकान बना लिया और पंचायत वालों ने उससे कहा कि भाई तुम ने सड़क में बना लिया है तुम्हें ९ फुट जगह छोड़नी चाहिये थी । मैं भी वहां गया और मैं ने देखा कि काफी जगह छोड़ दी गई है, तकरीबन २१ फुट जगह छोड़ी गई थी अब सुनते हैं कि उस पर २०० रुपया जुर्माना कर दिया गया है । अगर वह जुर्माना न अदा करे तो उसको रोजाना हर्जाना देना पड़ेगा ।

मैं एक बार हड़ताल गांव में जो कि दिल्ली राज्य में ही है गया । उस गांव के जो कास्ट हिन्दु लोग हैं उन्होंने वहां के हरिजनों को मारा पीटा क्योंकि वह हरिजन अपनी जगह में हल नहीं चलाने का आग्रह कर रहे थे । मैं ने पुलिस वालों को कहा कि इसके बारे में कुछ कीजिये लेकिन आज तक कुछ किया नहीं गया है ।

इसी तरह एक नरेला गांव है और वहां पर एक शिक्षण केन्द्र है । जिसका उद्घाटन दातार साहब ने किया था । उसकी हालत यह है उसको रुपया तो हरिजनों की भलाई के लिए दिया जाता है और उन्हीं के वास्ते वह है लेकिन मैं ने देखा है कि उसमें सिर्फ दो हरिजन लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और बाकी जितने भी प्रशिक्षार्थी हैं वे ऊंची जातियों के हैं । इस तरह काम दिल्ली राज्य के अन्दर हो रहा है ।

इसके अलावा थोड़ा सा मैं केन्द्र के बारे में बताना चाहता हूं । इस में मैं जहां तक केन्द्रीय सरकार का ताल्लुक है उसी के बारे में कहूंगा । सी० पी० डब्ल्यू० डी० में एक हरिजन भाई काम करता है जो कि वहां पर अपर डिविजन क्लर्क है । वह असिस्टेंट का इम्तिहान देना चाहता था । उसको बैठने की इजाजत दे दी गई उसने फीस भी भेज दी और फार्म भी रवाना कर दिया । जब इम्तिहान का दिन आया तो उसको छुट्टी नहीं दी गई और उसके विरोध में उसने महकमे को लिखा लेकिन महकमे ने उसका कोई जवाब तक नहीं दिया । मैं ने दातार साहब को भी इसके बारे में लिख दिया है लेकिन अभी तक कोई पता नहीं मिल रहा है ।

इसी तरह से एक और बात मैं बताना चाहता हूं और वह सी० टी० ओ० के दफ्तर के बारे में । वहां पर एक हरिजन क्लर्क है और उसने अपने ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर को लिखा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं कैम्प कालेज में दाखिल हो जाऊं क्योंकि मैं आगे पढ़ना चाहता हूं । उन्होंने बड़ी कृपा करके इजाजत दे दी और उसने फीस भी जमा करा दी । जब उसने पढ़ना शुरू कर दिया तो उसको हुक्म हो गया कि वह बैरागढ़ चला जाए । उसने बड़ी मिन्नत की और बहुत लिखा-पढ़ी की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ । मैं ने संबधित मिनिस्टरी को पत्र भी भेजा लेकिन आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं भेजा ।

यह बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका बहुत खराब असर पड़ता है और मैं चाहता हूं कि इन पर गम्भीरता-पूर्वक गौर किया जाए और इनको दूर करने की कोशिश की जाए । इनसे बहुत बुरा प्रभाव लोगों पर पड़ता है ।

अब अस्पृश्यता की बात लीजिए । जब से अस्पृश्यता निवारण विधेयक पास हुआ है, तब से आज तक उस के अधीन क्या कार्यवाही हुई है, यह मैं जानना चाहता हूं । उसके अधीन कितने मुकदमे दर्ज किए गए और कितनों को सजा हुई । मेरे सामने दिल्ली राज्य के दो तीन केस आए और लोगों ने बताया कि पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की । उनके बारे में लिखा-पढ़ी भी की गई, लेकिन कोई फल नहीं निकला । अजमेर में पुष्कर एक तीर्थ-स्थान है । वहां आज भी रंगनाथ जी के मन्दिर पर एक पट्टी लगी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि हरिजनों का प्रवेश निषिद्ध है । मैं कहना चाहता हूं कि वहां की राज्य सरकार को लिखा जाये कि जब इस सम्बन्ध में एक केन्द्रीय कानून पास हो गया है, तो कम से कम उस पर अमल तो होना चाहिए ।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि यदि हम हरिजनों को वस्तुतः आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी तरक्की करना चाहते हैं, तो यह आवश्यक है कि उनको बुनियादी तौर पर आगे बढ़ाने और विकसित करने के उपाय निकाले जायें । मैं ने एक सुझाव भेजा है और मैं समझता हूं कि उस पर अमल किया जायेगा । जब तक हमारे बच्चे अच्छी एजूकेशन—अच्छी शिक्षा—प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं । मैं ने देखा है कि हमारे सेक्रेटेरियट में जो बड़े बड़े सेक्रेटरी हैं और दूसरे अफसर हैं, उनके बच्चे पब्लिक स्कूल्ज में पढ़ते हैं । वे बहुत अच्छे स्कूल हैं, जहां से वे बड़े काबिल और होनहार हो कर निकलते हैं । मैं गृह मंत्रालय से प्रार्थना करूंगा कि वह हमारे लिए अलग से कुछ रुपया प्रोवाइड करें, जिससे हमारे बच्चे भी पब्लिक स्कूल्ज में शिक्षा प्राप्त कर सकें । केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक स्कीम है, जिसके अधीन प्रति वर्ष एक लाख रुपया रखा जाता है—यह रिपोर्ट में दिया हुआ है—और उसमें साढ़े सत्रह परसेंट स्थान भी सुरक्षित हैं । किन्तु जो स्थान हैं, उनमें दस या ग्यारह बच्चे आते हैं । इसके अतिरिक्त इस तरह का भी एक प्रतिबन्ध है कि जब तक वे सात परसेंट नम्बर लेते रहेंगे, तब तक वे ....

Mr. Chairman: There are many more speakers; you have already taken eighteen minutes and so I request you to conclude.

श्री नवल प्रभाकर : मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं । मैं ने तो अभी किताब भी पढ़ कर नहीं सुनाई है ।

Mr. Chairman: Two minutes more and please finish within that time.

श्री नवल प्रभाकर : दो रिपोर्टें हैं । मैं ने अभी उन को टच भी नहीं किया है । शायद दो या तीन साल के बाद मेरा बोलने का नम्बर आया है । दो रिपोर्टें मेरे सामने हैं । अगले दो वर्ष में भी मेरे बोलने का नम्बर आए या न आए, इस का भी कुछ पता नहीं है । मैं पांच सात मिनट में खत्म करता हूं । मैं बहुत जल्दी करूंगा । चलिए सात में नहीं पांच मिनट में ही खत्म कर दूंगा । मुझे कोई तीसरे साल नम्बर मिला है और उसमें भी तीन सेशन निकल गए हैं ।

मैं पब्लिक स्कूल्ज के बारे में कह रहा था । हम देखते हैं और हम हाउस में कहते भी हैं कि हमारे अफसर नहीं हैं । मैं ने बहुत गम्भीरता से सोचा है—और

[श्री नवल प्रभाकर]

सरकार भी यही चाहती है—कि हरिजन अफसर बनें, लेकिन वह किस तरह से बनें। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यदि इन में से कुछ होनहार बच्चों को अच्छे स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जाये, तो कोई वजह नहीं है कि वे भी आफिसर्ज, सेक्रेटरी आदि न बन सकें। इसलिए सरकार से मेरा यह नम्र निवेदन है कि प्रति वर्ष कम से कम सौ बच्चे पब्लिक स्कूल्ज में भेजे जाने चाहिएं और उनका अलग कम्पीटीशन होना चाहिए। मैं ने मालूम किया है कि एक बच्चे पर लगभग दो हजार रुपए खर्च होंगे और इस तरह सौ बच्चों पर सरकार का दो लाख रुपया खर्च होगा इसमें बारह वर्ष का कोर्स होता है। कुछ बच्चे उनमें से वापिस आ जायेंगे। इसलिए ७५ बच्चे हर साल पास होते रहेंगे और शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे। सरकार से मेरा नम्र निवेदन है कि प्रतिवर्ष सौ बच्चे जरूर भेजे जाने चाहिएं और इसके लिए रुपया प्रोवाइड किया जाना चाहिए।

दो बातें और कह कर मैं खत्म करना चाहता हूं। पिछली बार यहां पर केन्द्र में एक हरिजन मंत्रालय के सम्बन्ध में कहा गया। आप कहते हैं कि वह सम्भव नहीं है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप यह मंत्रालय नहीं बनाना चाहते हैं, तो केन्द्र में हरिजन वैलफेयर बोर्ड जरूर बनाइये और उसमें हरिजन सदस्यों को लीजिये, उनके सुझाव सुनिए और आप जो भी रुपया इस सम्बन्ध में खर्च करते हैं, राज्य सरकारों से जो भी स्कीमें आती हैं, उनके बारे में उन की राय लीजिये और उसके अनुसार काम कीजिये। यह कार्य बहुत सरल है और में समझता हूं कि इसको आप करने की कृपा करेंगे।

आप एक आदर्श यूनिवर्सिटी भी स्थापित कर सकते हैं और आदर्श होस्टल स्थापित कर सकते हैं, जिनमें हरिजन बच्चों को शिक्षा, कपड़ा और पुस्तकें मिल सकें और उनका आदर्श रहन-सहन हो और वे चौबीस घंटे वहां पर रह कर शिक्षा प्राप्त कर सकें इससे हरिजनों का बहुत कल्याण हो सकता है।

मुर्दा मवेशियों की समस्या बहुत भयंकर है। इसके कारण देश के कोने कोने में रोजाना लड़ाई झगड़ा होता है। बहुत से पत्र मेरे पास आते रहते हैं और उनमें से बहुत से पत्र मैं ने माननीय पन्त जी को भेजे हैं। इस सम्बन्ध में मेरा नम्र निवेदन है कि आप राज्य सरकारों को लिखिए कि वे अपने राज्य में ठेका प्रथा चालू करें, ताकि देश में जो बड़ी सम्पत्ति है, उसका उपयोग किया जा सके। मुर्दा मवेशियों के प्रश्न पर सवर्णों और हरिजनों में झगड़े होते हैं। कोई उनको उठाता नहीं है। वहां पड़े पड़े वे सड़ जाते हैं और दुर्गन्ध निकलती है। आप राज्य सरकारों को आदेश दीजिए कि वे गांवों में ग्राम पंचायतों के द्वारा और जहां म्यूनिसिपल कमेटियां हैं, वहां उनके द्वारा ठेका सिस्टम चालू करायें। जो हरिजन ठेका लेना चाहते हैं, वे उसको खींचेंगे और उठायेंगे।

मैं आशा करता हूं कि मैं ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और हरिजनों के कल्याण कार्य को आगे बढ़ायेगी।

श्रीमती कमलेंदु मति शाह (जिला गढ़वाल-पश्चिम व जिला टिहरी गढ़वाल व जिला बिजनौर-उत्तर) : सब से पहले

तो मैं सरकार तथा कमिश्नर साहब को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने कि अन्य कारणों के अतिरिक्त मेरी प्रार्थना पर भी विचार कर के टिहरी गढ़वाल जिले को एक पिछड़ा हुआ प्रदेश घोषित कर दिया है। मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करती हुई पिछड़े क्षेत्र का कुछ समस्याओं पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं।

पिछड़ा हुआ प्रदेश घोषित होने से यह स्वाभाविक ही है कि इस जिले की उन्नति के लिए प्रान्त तथा केन्द्र से इसको अधिक धन-राशि मिलेगी।

परन्तु यह समूची धन राशि केवल यहां पहुंचा देने से ही काम नहीं चलेगा। इस धन के उचित व्यय के लिए, पहाड़ी प्रदेश की स्थिति ध्यान में रखते हुए, बहुत सोच विचार कर योजनायें बनायी जानी चाहिएं, तथा उन्हें बनाने और कार्यान्वित करने वाले योग्य व्यक्ति होने चाहिए, नहीं तो मुझे भय है कि या तो यह धन राशि व्यय ही नहीं होगी, या उसका अपव्यय होगा। मेरे प्रदेश की वर्तमान योजनाओं में कुछ अधिकारी बड़ी धांधली कर रहे कहे जाते हैं जिसका मुझे दुःख है। भ्रष्टाचार आज हमारी सबसे बड़ा समस्या है।

पाठशालाओं, चिकित्सालयों, उद्योगशालाओं, पुल तथा मार्ग निर्माण का कार्य तो, सामान्य रूप से, किसी प्रकार हो ही रहा है अतः यह कार्य पिछड़े वर्ग की उन्नति की संज्ञा में नहीं रखा जाना चाहिए। पिछड़े वर्ग का उत्थान तो, उनकी वर्तमान स्थिति के प्रमाण को, उस स्तर तक लाने से होगा, जब वे अपने को मनुष्य समझ कर देश का एक जिम्मेदार नागरिक समझने लगेंगे। यह कार्य सहल नहीं है क्योंकि ये लोग अपने जो जंगली भालू की संज्ञा देते हैं। अतः इन भालू रूपी मनुष्यों की मानसिक वृत्ति और जीवन स्तर को बड़े यत्न से ऊंचा उठाना होगा।

पिछड़े क्षेत्र को उन्नति उस क्षेत्र में अन्न की उपज बढ़ाने से ही नहीं होगी। मैं सरकार से पहले भी निवेदन कर चुकी हूं कि मेरे प्रदेश के विकास के लिए वहां पर्याप्त साधन हैं। इन्हीं साधनों का विकास करके इस जिले को धनी और यहां के निवासियों को स्वावलम्बी बनाया जा सकता है।

इस युग में मोटर मार्ग जीवन की एक प्रथम आवश्यकता मानी जाती है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत मोटर मार्ग पहुंचने पर यहां के निवासी अपनी बनायी हुई वस्तुओं का निर्यात करके अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं।

इस पहाड़ी प्रदेश में भूमि भी एक कठिन समस्या है। यहां के सीढ़ियों की तरह के खेतों में ये लोग खून पसीना एक करके उस अन्न को उपजाने का प्रयत्न करते हैं जिससे वर्ष भर में प्रायः पांच महीने भी इनका पेट नहीं भर पाता और इन्हें उदर पालन के लिए दर दर नौकरी की खोज में भटकना पड़ता है। अतः जब तक यहां के निवासियों की आय का स्तर, फलों का विकास, दुग्धशालाओं, कुटीर उद्योग या लकड़ी द्वारा दियासलाई, कागज़ इत्यादि बनाने के कार्यालयों द्वारा न बढ़ाया जायेगा, तब तक इनके उत्थान के प्रयत्नों का न इन्हें विश्वास दिलाया जा सकता है और न केवल कोरी कल्पना द्वारा अनुमान लगा कर इन्हें लाभ ही पहुंचाया जा सकता है।

जलवायु की अत्यधिक भिन्नता के कारण इन पर्वत प्रदेश के निवासियों को स्थानान्तरित करना भी उचित नहीं होगा। अपने छोटे खेतों तथा अपनी पहाड़ी जन्म-

[श्रीमती कमलेन्दु मति शाह]

भूमि का प्रेम इन्हें अन्यत्र स्वर्ण भूमि मिलने पर भी नहीं जाने देगा । अपनी ये झोंपड़ियां इनसे छोड़ते न बनेंगी, न ऐसा करने को इन्हें बाध्य ही किया जाना चाहिए । अतः इनको समस्याओं का हल यही है कि जो साधन इनके प्रदेश में हैं उन्हीं का विकास करके इन का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जाये ।

श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर (भंडारा रक्षित—अनुसूचित जातियां) : बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की रिपोर्ट पर जो मुझे बोलने का मौका मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूं । इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि संविधान में हरिजनों को और आदिवासियों को जो सुविधायें देने का निर्देश किया गया है उसके अनुसार राज्यों में काम नहीं हो रहा है । इसके बारे में मैं आपको कुछ उदाहरण भी दे सकती हूं ।

पहली बात तो इस सम्बन्ध में मुझे यह कहनी है कि यद्यपि इस सदन में अस्पृश्यता निवारक कानून पास हो गया है पर अभी तक उसकी हिन्दी और दूसरी प्रादेशिक भाषाओं में कापियां देहातों में नहीं पहुंची हैं । बहुत से देहात वालों को तो अभी तक यह भी नहीं मालूम कि इस तरह का कोई कानून पास भी हुआ है । जिन थोड़े से लोगों को मालूम भी है उनके गांव में अगर छुआछुत के बारे में कोई मामला हुआ तो वे उसकी रिपोर्ट देते हैं तो उस पर कोई न्याय नहीं किया जाता । पुलिस वाले कोई जांच नहीं करते । दिल्ली आने के १५ दिन पहले ही मेरे पास जबलपुर खमरिया से एक भंगी भाई का पत्र आया था । उसमें उन्होंने लिखा था कि वह कटनी में एक शादी में गये हुए थे । वहां जब वह होटल में चाय पीने गये तो होटल वाले ने उनसे कहा कि आप हरिजन हैं इसलिए आपको अलग से चाय दी जायेगी और आपके कप वगैरह भी अलग ही रखे जायेंगे । इन के साथ दो आदमी और भी थे । जब उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की तो इसकी जांच तो नहीं की गई, उल्टा इन लोगों को ही फंसाया गया और कहा गया कि तुम ने होटल वाले को गालियां दी हैं और इन तीन आदमियों से इक्कीस-इक्कीस रुपया जुर्माना लिया गया । ऐसा ही एक केस नागपुर में भी हुआ है । अगर इसी तरह से इस कानून पर अमल किया गया तो इससे हरिजनों को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि वह और भी ज्यादा पीसे जायेंगे और उनकी कोई उन्नति नहीं हो सकेगी । तो हम यह चाहते हैं कि यह जो ऐक्ट है इसको कार्यान्वित करने के लिए पूरा प्रयत्न किया जाये और जो हम लोगों पर दफ़ा १०७ लगा कर हमको फंसाया जाता है ऐसा न हो ।

दूसरी बात मुझे मकानों के बारे में कहनी है । हरिजनों के मकानों की समस्या अभी हल नहीं हुई है । अभी पिछले हफ्ते में रामनगर दिल्ली गयी थी । वहां मैं ने देखा कि एक इमारत में ६० फैमिलीज नीचे और ६० फैमिलीज ऊपर, कुल १२० फैमिलीज रह रही हैं । और एक एक परिवार में आठ आठ, दस दस आदमी हैं। वहां पर इतनी गंदगी है कि इस सदन का कोई सदस्य वहां पांच मिनट भी खड़ा नहीं रह सकेगा । हाउसिंग बोर्ड की तरफ से इनको मकानों के लिए कुछ कर्ज देने की व्यवस्था है लेकिन उसमें एक शर्त यह रखी गयी है कि जिनके पास जमीनें हैं उनको ही कर्ज दिया जायेगा । हरिजन लोग गरीब हैं और कर्ज में साहूकारों ने

उन की जमीनें ले रखी हैं । यह उनकी हालत है । हम चाहते हैं कि उनको सरकार मुफ्त में जमीन दे या इतनी कम कीमत पर दे कि जिसको वे अदा कर सकें । इसके अतिरिक्त इस लोन को, प्राप्त करने के लिए इन भाइयों को अधिकारियों के पास इतना दौड़ना पड़ता है कि उनके लिए लोन पाना कठिन हो जाता है ।

आज से दो साल पहले बाबूजी हमारे नागपुर में आये थे । वहां उन्होंने झाड़तोली में देखा कि वहां की भंगी कालोनी की हालत दिल्ली की भंगी कालोनी से भी खराब है । वहां पर इन लोगों ने ११-११ रुपये डाल कर एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनायी मगर उनके मकान बनाने की कार्रवाई अभी तक नहीं की गयी है । वे बेचारे दिन भर अपने पेट के लिए रोटी कमाने में लगे रहते हैं । कैसे वे बड़े अधिकारियों के पास दौड़ते रहें और कैसे उन की समस्या हल हो ।

तीसरी बात मुझे नौकरियों के संबन्ध में कहनी है । केन्द्रीय सरकार में सभी नौकरियों में हरिजनों को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया है । क्लास १ सर्विस में जहां कुल कर्मचारी १३४७ हैं वहां उनमें १४ अनुसूचित जाति के हैं और ३ आदिम जाति के । यह अस्थायी नौकरी है । क्लास २ सर्विस में जहां कुल संख्या १६३० है वहां उनमें कुल ४६ अनुसूचित जाति के हैं और ३६ अनुसूचित आदिम जाति के, नान गजेटेड क्लास दो सर्विस में जहां कुल संख्या ३२०६ है वहां उनमें केवल ३६ अनुसूची जाति के हैं और ७ आदिम जाति के । ये अस्थायी नौकरियां हैं । स्थायी नौकरियों में भी ३०१२ में १३ अनुसूचित जाति के हैं और ३ अनुसूचित आदिम जाति के हैं । क्लास दो गजटेड में कुल संख्या १६४० उसमें केवल ५ अनुसूचित जाति के और दो आदिम जाति के हैं । इसी प्रकार क्लास २ नान गजटेड सर्विस में २१७४ में से ६४ अनुसूचित जाति के हैं और ८ आदिम जाति के हैं । संविधान के अनुसार इन लोगों के लिए साढ़े बारह प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं, लेकिन इस संख्या को देखने से मालूम होता है कि किस प्रकार से उनको नौकरियों में स्थान दिया जा रहा है ।

दूसरी बात यह है कि एम्पलायमेंट एक्सचेंजों में पहले तो इन लोगों के नाम ही कठिनाई से दर्ज किये जाते हैं, और फिर इनको इंटरव्यू काल जल्दी नहीं भेजे जाते हैं । जब इन को बुलाया जाता है तो दूर दूर के शहरों में में जहां इंटरव्यू के लिये बुलाया जाता है काफी रुपया खर्च करके इंटरव्यू के लिए आते हैं पर चूंकि इनकी पोशाक अच्छी नहीं होती और ये सूट बूट में अधिकारियों के सामने उपस्थित नहीं होते इसलिए इनके व्यक्तित्व की छाप अधिकारियों पर अच्छी नहीं पड़ती । मैं कह सकती हूं कि आज भी हमारे बहुत से ऐसे नवयुवक हैं जो एम० ए० और बी० ए० तक पढ़े हुए हैं और क्लर्क की हैसियत से अपना जीवन यापन कर रहे हैं......

5 P.M.

Shri Veeraswamy (Mayuram—Reserved—Sch. Castes): I would suggest that the hon. lady Member may continue tomorrow.

सभापति महोदय : अभी आप और अधिक समय लीजियेगा ?

Shrimati Anusuyabai Borkar: I will continue tomorrow.

Mr. Chairman : All right. The hon. Member may continue her speech tomorrow.

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the Clock on Thursday, the 15th September, 1955.